समक्ष :—जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म0प्र0)

:: अनुबंध—पत्र ::

जिला न्यायालय परिसर, जबलपुर में कैण्टीन के संचालन हेतु

जिला न्यायालय परिसर, जबलपुर के अभिभाषक संघ बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर केण्टीन का संचालन किया जाना है, जिसका एरिया 490 वर्गमीटर है, के एक वर्ष की कालावधि वर्ष 2019—20 के लिये संचालन करने संबंधी शर्ते निम्नानुसार हैं :—

01. केण्टीन के संचालन के ठेके के लिये न्यूनतम निविदा राशि कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ.स.) संभाग—1, जबलपुर से निर्धारित किया गया किराया प्रतिमाह पूर्णाक में प्राप्त किया जावे एवं निविदा प्रारंभ दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि के लिये रहेगी।

02. स्वीकृत, निविदाओं में एक माह की सुरक्षा निधि के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के नाम से निविदा अवधि या किन्हीं कारणवश बढाई गई अवधि तक बैंक गारंटी के रूप में जमा रहेगी।

03. अनुबंध पर प्राप्त की गई केण्टीन के व्यक्ति द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार नियत तिथी के अंदर किराया राशि कोषालय में जमा नहीं की जाती है तो उस पर 12 प्रतिशत ब्याज की दर से राशि अदा करनी होगी, एक माह तक मय ब्याज के राशि जमा ना करने पर उसका लाईसेंस निरस्त करने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रहेगा।

04 केण्टीन का मासिक किराया उसके एरिया के अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ.स.) संभाग—1, जबलपुर द्वारा निर्धारित दर से देय होगा।

05 केण्टीन के किसी भी भाग को रहने तथा अन्य किसी कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जावेगा।

06 केण्टीन में बिकी किए गए सामान का मूल्य ठेकेदार के बैठने वाले स्थान पर लगाया जाना आवश्यक है एवं निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त ना किया जावे।

07 जिला न्यायालय के अवकाश दिवस के दिनों को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए या अन्य ऐसे समय तक जो माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा निर्धारित किया जावेगा संस्थान खुला रहेगा।

08 ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त को भंग करने पर व पालन ना करने पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर द्वारा 15 दिन का लिखित नोटिस देकर ठेका रद्द कर सकेंगे। इस प्रकार रद्द की गई अनुज्ञप्ति के फलस्वरूप ठेकेदार को जिला न्यायाधीश जबलपुर से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

09 ठेकेदार अथवा उससे संबंधित किसी भी विषय पर कोई विवाद यदि उत्पन्न होता है तो माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा या उनके द्वारा नामांकित किसी अन्य न्यायाधीश को विवाद के निर्णय हेतु सौंपा जावेगा और ऐसा निर्णय अंतिम रहेगा, जो उभयपक्षों पर बंधनकारी होगा।

10. केण्टीन के संचालक विद्युत कनेक्शन स्वयं लेंगे तथा विद्युत शुल्क स्वयं वहन करेंगे।

11. शर्त कमांक – 06 में संचालित की जाने वाली प्रतिष्ठानों में बिकी किए गए सामानों का मूल्य का निर्धारण प्रशासनिक समिति निविदा धारक के विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए किया जावेगा।

12. केण्टीन संचालक आसपास के स्थान को साफ सुथरा रखने का उत्तदायित्व निविदा धारक का रहेगा।

13. निविदा धारक विकय की जाने वाली खाद्य सामग्री स्वास्थ्य के मानक के अनुरूप विकय करेगा। खाद्य सामग्री में मिलावट पाए जाने पर इस हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

14. खादय सामग्री की जांच हेतु माननीय जिला न्यायाधीश जबलपुर द्वारा कमेटी गठित की जावेगी। नामित कमेटी द्वारा खादय सामग्री गुणवक्ता के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा अधिकतम बोली के आधार पर निविदा स्वीकार की जावेगी।

वास्ते–जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर म.प्र.

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय जबलपुर में कैण्टीन के संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कम्पनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख माननीय उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर के वेबसाइड **www.mphc.gov.in**एवं **www.tenders.gov.in** पर उपलब्ध हैं। इच्छुक संस्थायें / व्यक्तियों / कम्पनियां अपना आवेदन निविदा शर्तों के संबंध में सहमति दर्शाते हुये दिनांक 28.01.2019 की सांयकाल 5:30 बजे तक आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा प्रलेख कार्यालय जिला रजिस्ट्रार, जिला न्यायालय जबलपुर में दिनांक 28.01.2019 तक कार्यालयीन समय पर उपलब्ध रहेगा।

वास्ते–जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर(म0प्र0)

कार्यालयः— जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर (म.प्र.)

टेण्डर फार्म नं......

फोटो

प्रति,

श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय,
जबलपुर (म.प्र.)

मेरे/हमारे.. द्वारा टेण्डर में संलग्न नियम एवं शर्तो को पढ़ एवं समझ लिया गया हैं तथा संबंधित नियम एवं शर्तो का पालन करने हेतु सहमत हूं/हैं। निविदा फार्म की कीमत 500 रूपये अदा करने के साथ ही उक्त निविदा फार्म अंतिम दिनांक 25.01.2019 को शाम 05.00 बजे तक जमा करने तथा दिनांक 28.01.2019 को दोपहर 05.30 बजे क्रय समिति नवम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर के चेम्बर में आयोजित टेण्डर को खुलवाने के लिये सहमत हूं/हैं एवं हम उक्त शर्तो एवं नियम को पालन करने हेतु लिखित में सहमति देने हेतु तैयार हैं। शर्ते पूरी न होने पर बयाना के तौर पर जमा की गई राशि को जप्त होने पर मैं/हम स्वयं उत्तरदायी होंगे। मैं/हम अनुबंध की शर्तो के अंतर्गत तथा संलग्न अनुबंध के अनुसार कार्य करने के लिये सहमत हैं।

मैं/हम नवीन जिला न्यायालय भवन जबलपुर में **कैंटीन संचालन** हेतु अनुबंध शर्तो के अनुसार निर्धारित दरों पर कार्य करने के लिये सहमत हैं।

मैं/हम द्वारा यह घोषणा की जाती हैं कि, हमारे द्वारा बेवसाईड www.mphc.gov.in एवं www.tenders.gov.in में उपलब्ध टेण्डर संबंधी समस्त दस्तावेजों में किसी भी प्रकार का कोई जोड़, घटाना या बदलाव नही किया गया हैं। किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेजों की मूल प्रति (हार्ड कॉपी) को ही अंतिम दस्तावेज माना जावेगा एवं यदि हमारे द्वारा दिये गये दस्तावेजो एवं मूल कॉपी में कोई बदलाव पाया जाता हैं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय/प्रशासनिक/क्रय समिति हमारे इकाररनामा को निरस्त करने हेतु पूर्ण स्वंतत्र हैं।

मेरे/हमारे द्वारा टेण्डर के साथ बयाना राशि .... को एफ.डी.आर/डिमाण्ड डाफ्ट/ बैंक चैक/ बैंक गारण्टी .... दिनांक........ को बंद लिफाफा में जमा किया जावेगा।

टेण्डर राशि .... को हमारे द्वारा डी.डी./चैक नंबर .... दिनांक .... को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर के नाम से संबोधित करते हुये प्रेषित किया जावेगा।

दिनांक..........

हस्ताक्षर

गवाह हस्ताक्षर

नाम....................

1.

पता...........................

2.